



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 513 राँची, सोमवार,

5 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 जुलाई, 2024

संख्या-4/स्थापद0-02-13/2014 का. 4672--बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2024 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित प्रशिक्षु उप समाहर्ताओं को दुमका जिला में दिनांक 20.07.2024 से 19.08.2024 तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
I	II	III	IV
1.	श्री लाल बालकिशोर नाथ शाहदेव	लोहरदगा	लातेहार
2.	श्री जयंत कुमार तिवारी	चतरा	हजारीबाग
3.	श्री आशुतोष ठाकुर	बाँका, बिहार	खूँटी
4.	श्री सुदर्शन ठाकुर	भोजपुर, बिहार	खूँटी
5.	श्री कलीन्द्र साहु	सिमडेगा	गुमला
6.	श्री मनोज कुमार चौरसिया	हजारीबाग	गिरिडीह

7.	श्री शिव बालक प्रसाद	खूँटी	गुमला
8.	श्री विपिन चन्द्र विश्वास	गिरिडीह	गोड्डा
9.	श्री प्रभात रंजन ज्ञानी	राँची	रामगढ़
10.	श्री प्रेम कुमार	गोड्डा	बोकारो
11.	श्री सुनील कुमार मुर्मू	देवघर	जामताड़ा
12.	श्री प्रधान हाँसदाक	दुमका	पाकुड़

II उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-14 के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने प्रशिक्षण के जिले में योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
